

पत्र संख्या : 7 वि.शा./विविध-12-42/2019 ज.सं.— 289

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,  
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची/हजारीबाग/ईचा—गालूड़ीह  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 18/3/21

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जल संसाधन विभागान्तर्गत न्यायालयवाद/विवाचनवाद से संबंधित दिभिन्न मामलों में नियुक्त विवाचक एवं पैरवी कर रहे अधिवक्ता के शुल्क, न्याय निर्णय के अनुपालन में आदी को भुगतान करने एवं अन्य विधि शुल्कों के भुगतान हेतु रु. 91.60 लाख (एकानबे लाख साठ हजार मात्र) रुपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :-

महाशय,

प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या—11/2020-21 प्र०स्वी०, दिनांक—22.01.2021 Online AA-1545/25.01.2021

वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है:-

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (राशि लाख में)
1	2	3	4	5
1.	49—जल संसाधन विभाग/ 4701—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय /80—सामान्य	796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/75—सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन	06—अनुदान/ 49—आर्थिक सहायता विपत्र कोड—49S470180796750649	48.86
2.	49—जल संसाधन विभाग/ 4701—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय /80—सामान्य	001—निदेशन तथा प्रशासन / 75—सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन	06—अनुदान/ 49—आर्थिक सहायता विपत्र कोड—49S470180001750649	42.74
				91.60

आवंटित राशि — एकानबे लाख साठ हजार मात्र।

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट—1 एवं 2 में अंकित प्रमंडल के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2020-21 के बजट उपबंध विपत्र कोड—49S470180796750649 ₹ 250.00 लाख (₹ दो करोड़ पचास लाख) एवं विपत्र कोड—49S470180001750649 ₹ 200.00 लाख (₹ दो करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय राज्यालय का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक—19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुस्तुत रूप से जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा रखने के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगालीग आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं साक्षग पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

(अशोक दुगार दारा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

**नोट :** आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

  
 (प्रशांत कुमार)  
 सचिव

ज्ञापांक :— 289

रॉची, दिनांक :— 18/3/21

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/हजारीबाग/घाटशिला सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।


  
 (प्रशांत कुमार)  
 सचिव

ज्ञापांक :— 289

रॉची, दिनांक :— 18/3/21

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।



(राजेन्द्र प्रसाद)  
 उप सचिव (अभि.)

  
 (अशोक कुमार दास)  
 संयुक्त सचिव (अभि.)

  
 (प्रशांत कुमार)  
 सचिव

विभागीय पत्रांक..... 289

दिनांक ..... 18/3/21 .....

का अनुलग्नक

परिशिष्ट -1

मांग संख्या—49—जल संसाधन विभाग,  
मुख्य शीर्ष-4701—मध्यम सिचाई पर पूँजीगत परिव्यय,  
उप-मुख्य शीर्ष-80—सामान्य,  
लघु शीर्ष-796—जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,  
उप शीर्ष-75—सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन,  
06—अनुदान, 49 आधिक सहायता विपत्र कोड — 49S470180796750649

वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट उपबंध राशि रु. 250.00 लाख (दो करोड़ पचास लाख) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियांत्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2020 तक का लाय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन पूर्व का आवंटन	योजना पर कुल अधिन आवंटन (7+10)	On-line Allocation Access No.	अनुचित		
				प्रसंग	राशि							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	जलपथ प्रमंडल सं.-1, सिमडोगा (SDGIRR001)	राँची	जल संसाधन विभागात्मक संवर्धित विभिन्न भागों में नियुक्त विवाहक एवं ऐवं कर रहे अधिवेदन के लिए जलपुत्र ने योजना के लिए योजना करने एवं अन्य लिए योजना के लिए योजना करने हेतु	11/2020-21 प्र०३०, दिनांक-22.01.2021 Online AA- 154525.01.2021	125.00	0.00	0.00	10.60	10.60	10.60	86992	Arbitration Case No-08/2016 NS. JK Construction Vr Jharkhand State and Others (Agreement No-100F2/1987-88)
2	सिंचाई प्रमंडल—गालूड़ीह (JSIRR104)	गालूड़ीह				0.00	0.00	5.50	5.50	5.50		Arbitration Appeal No-15/2018 Vijeta Project Vs Jharkhand State and Other,
						0.00	0.00	32.76	32.76	32.76	86995	Arbitration Appeal No-02/2019 (LCB-3) & Arbitration Appeal No-03/2019 (LCB-4)
			योग	0.00	48.86	48.86	48.86					

आवंटित राशि — ₹ अड्डालीम लाख छियासी हजार मात्र।

22

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अधि.)

(अशोक कुमार दास)  
सचिव (अधि.)

प्रशासन कुमार  
सचिव

माँ संस्था-49-जल संसाधन विभाग,  
मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,  
उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन

उप शीर्ष-75-सर्वेषण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन,

विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान/ 49-आर्थिक सहायता विपत्र कोड- 495470180001750649

वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट उपबंध राशि रु. 200.00 लाख (दो करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	प्रशासनिक स्वीच्छति का		मार्च 2020 प्रसंग	राशि	तक का व्यय	पूर्त का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	योजना पर कुल अधितन आवंटन (7+10)	On-line Allotment Access No.	अस्युवित्त
			प्रसंग	राशि									
1	जलपथ प्रमंडल, (HZBIRR017)	हजारीबाग	जल संसाधन विभागान्तर्गत <sup>न्यायालयवाद/विवाचनवाद से संबंधित विभिन्न भागों में नियुक्त तिवारक एवं पूँजी कर रहे अधिविता के अन्यालय विभिन्न कर्जने एवं अन्य विधि शुल्कों के भुगतान हेतु</sup>	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	86996	Arbitration Appeal No-38/2017 Vijeta Project Vt Jharkhand State and Others	
2	हजारीबाग (HZBIRR008)	हजारीबाग	11/2020-21 प्रसंग, दिनांक-22/01/2021 Online AA- 1545/25.01.2021	125.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	86999	Arbitration Appeal No-32/2017 Vijeta Project Vt Jharkhand State and Others	
3	सिंचाई प्रमंडल-गालुड़ीह (JSRIRR104)	गालुड़ीह	0.00	0.00	17.24	17.24	17.24	17.24	17.24	17.24	87000	Arbitration Appeal No-02/2019 (LCB-3) & Arbitration Appeal No-03/2019 (LCB-4)	
			योग	0.00	42.74	42.74	42.74	42.74	42.74	42.74			

आवंटित राशि – ₹ बयालीस लाख चौहतर हजार मात्र।

2-2  
(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभियंता)

J  
(अधिकारी कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभियंता)

प्रशासन  
कुमार  
सचिव